

# नई शिक्षा नीति, 2020 पर एक अध्ययन और उच्च शिक्षा पर इसका प्रभाव

सुधीर कुमार सिंह

सहायक प्रोफेसर बीएड

महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महा विद्यालय हरदोई

सार:

भारत की स्वतंत्रता के 73वें वर्ष के पूरा होने का प्रतीक है, फर भी राष्ट्र में 100% साक्षरता या सार्वभौमिक साक्षरता का लक्ष्य है। स्वतंत्र भारत के लिए जो दृष्टिकोण और लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उन पर चंतन करना आवश्यक है। दृष्टि राष्ट्र में समानता और शिक्षा में समानता देखने की है। यह भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। इसके आलोक में महामारी वर्ष के बीच प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके हमारे राष्ट्र को एक समान और जीवंत ज्ञान समाज में स्थायी परिवर्तन में सीधे योगदान देती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था जो ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक ढांचा है। नई नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के साथ पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है और 2025 तक उच्च शिक्षा में जीईआर को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है। कई अवसर हैं और एनईपी 2020 के कार्यान्वयन में शिक्षा बिरादरी के लिए चुनौतियां। यह पेपर उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभाव: अवसर और चुनौतियां, भारत में शिक्षा प्रणाली के इतिहास का पता लगाने की कोशिश करता है, एचई के संबंध में एनईपी की समीक्षा करने के लिए, प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए। शिक्षकों पर एनईपी का, और एनईपी के कार्यान्वयन में अवसरों और चुनौतियों को भी व्यक्त करता है और एनईपी के आगे की राह का भी वर्णन करता है। कीवर्ड: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा, सार्वभौमिकरण, शिक्षकों पर प्रभाव

परिचय:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाले गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए एक नई नीति है। NEP 2020 जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके हमारे देश को एक समान और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में सीधे योगदान देती है।

यह एनईपी शिक्षा की पछली राष्ट्रीय नीति 1986 की जगह लेता है। नई नीति पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) डॉ के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व वाली एक स मति द्वारा तैयार कए गए मसौदे पर आधारित है। स मति पछले छह वर्षों से नीति पर काम कर रही है और कस्तूरीरंगन स मति नीति पर काम करने वाली दूसरी स मति है। एनईपी भारत की शिक्षा नीति में कई बदलाव करता है।

एनईपी 2020 ने उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की गुणवत्ता में सुधार और भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए उच्च शिक्षा में जीईआर को 26.3 प्रतिशत (2018) से 2035 तक लगभग दोगुना करने के महत्वाकांक्षी कार्य की रूपरेखा तैयार की है। एक अंतः वषय दृष्टिकोण के माध्यम से एक लचीला पाठ्यक्रम प्रदान करने, चार साल के स्नातक कार्यक्रम में कई निकास बिंदु बनाने, अनुसंधान को उत्प्रेरित करने, संकाय समर्थन में सुधार और अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

पूरे उच्च शिक्षा खंड के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) की स्थापना में सबसे आमूलचूल बदलाव देखा जाएगा। एचईसीआई एक एकल नियामक के रूप में कार्य करेगा और मान्यता, वृत्त पोषण और शैक्षणिक मानक सेटिंग सहित कई कार्य स्वतंत्र वर्टिकल द्वारा कए जाएंगे। ये संस्थाएं अंततः विश्व विद्यालय जैसे अन्य नियामक निकायों की जगह लेंगी अनुदान आयोग (यूजीसी) या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)।

भारत के प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीति "क्या सोचना है इसके बजाय कैसे सोचना है" पर केंद्रित है।

अध्ययन का उद्देश्य:

अध्ययन नीचे उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है:

- 1 उच्च शिक्षा के संबंध में एनईपी की मुख्य विशेषताएं जानने के लिए
- 2 भारतीय शिक्षा प्रणाली के इतिहास और इसकी वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए।
- 3 उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभाव का विश्लेषण करना।

कार्यप्रणाली:

कार्यप्रणाली में उच्च शिक्षा प्रणाली के संबंध में एनईपी 2020 की नीति के विभिन्न वर्गों पर प्रकाश डालते हुए, राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति ढांचे के सार को उजागर करने पर एक वैचारिक चर्चा शामिल है। उच्च शिक्षा पर एनईपी का प्रभाव फोकस समूह चर्चा पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है। उच्च शिक्षा से संबंधित नई नीति की चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण भी वषय कहनेवाला विश्लेषण तकनीक का उपयोग करके किया जाता है।

भारत की शिक्षा नीति का विकास: स्वतंत्रता से आज तक का एक रोड मैप:

भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली स मति वश्व वद्यालय शक्षा आयोग 1948-49 थी जिसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस स मति का नेतृत्व सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था जो उच्च शक्षा पर केंद्रित था।

माध्यमक शक्षा आयोग 1952-53 ने प्राथमिक वद्यालय के बाद और वश्व वद्यालय शक्षा शुरू होने से पहले मुख्य रूप से शक्षा पर ध्यान केंद्रित किया।

शक्षा आयोग 1964-66 को डॉ. डी. एस कोठारी के नेतृत्व में कोठारी आयोग के रूप में भी जाना जाता है। इस आयोग का एक समग्र दृष्टिकोण था और प्राथमिक से स्नातकोत्तर तक प्रत्येक चरण को ध्यान में रखते हुए शक्षा के राष्ट्रीय पैटर्न और सामान्य नीतियों पर सरकार को सलाह देता था।

1968 में, कोठारी आयोग की सफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा शक्षा पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई थी और राष्ट्रीय एकीकरण और अधिक आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को प्राप्त करने के लिए समान शैक्षक अवसरों की नीति की घोषणा की गई थी।

शक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 ने शक्षा प्रणाली में असमानताओं को दूर करने पर विशेष जोर दिया और सभी के लिए शैक्षक अवसर को समान करने का लक्ष्य रखा। इस अधिनियम को 1992 में संशोधित किया गया था "सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम" विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) के लिए।

2009 में, बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम पारित किया गया, जिसने प्रारंभिक शक्षा को प्रत्येक बच्चे के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया।

टी.एस.आर. 2016 में नई शक्षा नीति के विकास के लिए सुब्रमण्यम समिति या समिति ने कार्यान्वयन अंतराल को दूर करके शक्षा की गुणवत्ता और वश्वसनीयता में सुधार करने की मांग की।

अंत में डॉ. के. कस्तुरीरंगन समिति को नई राष्ट्रीय शक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए तैयार किया गया और 31 मई, 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस मसौदे में वर्तमान शक्षा प्रणाली के सामने पहुंच, इच्छिटी, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही की चुनौतियों का समाधान करने की मांग की गई थी। समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शक्षा मंत्रालय में बदल दिया।

उच्च शक्षा प्रणाली के लिए नीतियां एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताएं:

नीति में बदलाव:

1. व्यावसायिक शक्षा सहित एचई में सकल नामांकन अनुपात वर्तमान 26.3% (2018) से बढ़कर 2035 तक 50% हो जाएगा।
2. उच्च गुणवत्ता प्रदान करने वाले उच्च शक्षा संस्थानों को सरकार से अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।
3. प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय वश्व वद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
4. उच्च शक्षा संस्थान बहुवर्षिक शक्षा और लचीली पाठ्यचर्या संरचना को बढ़ावा देंगे जो आजीवन सीखने के लिए नई संभावनाएं पैदा करने के लिए कई प्रवेश और विकास बिंदु प्रदान करेगी।

5. ऑनलाइन शिक्षा और ओपन डस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, एक्सेस इक्विटी और समावेशन में सुधार के प्रमुख साधन के रूप में
  6. उच्च शिक्षा के भीतर व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण। 2025 तक कम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव होगा।
  7. अधिक अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए HE गुणवत्ता को वैश्विक गुणवत्ता स्तर तक सुधारा जाएगा और पुरस्कार के लिए वदेशों में अर्जित क्रेडिट की गणना की जाएगी।
- स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली को इस तरह से एकीकृत किया जाना चाहिए कि एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा के सभी छात्रों को आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) और इसके विपरीत की बुनियादी समझ होनी चाहिए। निवारक स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा के सभी रूपों में अधिक जोर दिया जाना चाहिए।
- तकनीकी शिक्षा बहु-वर्षीय शिक्षा संस्थानों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए और अन्य वर्षों के साथ गहराई से जुड़ने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), 3-डी मशीनिंग, बिग डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग की पेशकश पर फोकस होना चाहिए स्वास्थ्य, पर्यावरण और टिकाऊ जीवन के लिए अनुप्रयोगों के साथ जीनोमिक अध्ययन, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, तंत्रिका विज्ञान।

#### शासी निकाय:

- यूजीसी, एआईसीटीई, एमसीआई, डीसीआई, आईएनसी आदि जैसे एचई मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग संस्थानों को एचईआई के लिए एकल नियामक के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) के साथ मिला दिया जाएगा।
  - नैक और एनएबी जैसे मौजूदा प्रत्यायन संस्थानों को एक मजबूत राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
  - एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) की स्थापना की जाएगी जो विश्व मान्यता प्राप्त एचईआई (स्वयं और ओडीएल मोड) से अर्जित सभी पंजीकृत उम्मीदवारों के अकादमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करेगा, जिसे कॉलेज या विश्व विद्यालय द्वारा डीजी प्रदान करते समय ध्यान में रखा जा सकता है।
  - वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले विश्व नामकरण जैसे मानद विश्व विद्यालय, संबद्ध विश्व विद्यालय, केंद्रीय विश्व विद्यालय, संबद्ध तकनीकी विश्व विद्यालय, एकात्मक विश्व विद्यालय, आदि को मानदंडों के अनुसार आवश्यक मानदंडों को पूरा करने के बाद 'विश्व विद्यालय' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को मजबूत किया जाएगा और विश्व विद्यालयों तक विस्तारित किया जाएगा ताकि योग्यता-आधारित छात्रों की वित्तीय जरूरतों को पूरा किया जा सके। निजी एचईआई को अपने छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त जहाजों और छात्रवृत्तियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

वश्व वदद्यालय स्तर:

1. मौजूदा खंड इत एचईआई का दो प्रकार के बहु-वषयक वश्व वदद्यालयों (एमयू) और बहु-वषयक स्वायत्त कॉलेजों (एसी) में समेकन।
2. बहु-वषयक वश्व वदद्यालय दो प्रकार के होंगे जैसे (1) अनुसंधान-ग्रहण वश्व वदद्यालय, और (2) शिक्षण-प्रधान वश्व वदद्यालय।
3. वश्व वदद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान के वत्तपोषण के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना।
4. अनुसंधान को यूजी, पीजी, स्तर में शामिल किया जाएगा और इसमें समग्र और बहु-वषयक शिक्षा दृष्टिकोण होगा।
5. सभी एचईआई (1) स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन केंद्र, (2) प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, (3) अनुसंधान के सीमांत क्षेत्रों में केंद्र, (4) उद्योग-शैक्षणिक जुड़ाव केंद्र, और (5) मानविकी और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सहित अंतःवषय अनुसंधान केंद्र।
6. सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में पेशेवर शैक्षणिक और करियर परामर्श केंद्र होंगे, जिसमें सभी छात्रों के लिए परामर्शदाता उपलब्ध होंगे ताकि शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।
7. सभी एचईआई विज्ञान, गणित, कविता, भाषा, साहित्य, वाद-ववाद, संगीत के क्षेत्र में आवश्यकतानुसार संकाय और अन्य विशेषज्ञों की सहायता से छात्रों द्वारा आयोजित वषय-केंद्रित क्लबों और गतिविधियों के लिए विकास, समर्थन और निधि प्रदान करेंगे। खेलकूद, आदि
8. गुणवत्ता के वैश्विक मानक को प्राप्त करने के लिए डीजी कार्यक्रमों में 40:30:30 अनुपात मॉडल के साथ इन-क्लास शिक्षण, ऑनलाइन शिक्षण घटक और ओडीएल घटक शामिल हो सकते हैं।
9. सभी निजी वश्व वदद्यालय अपनी प्रत्यायन स्थिति के आधार पर श्रेणीबद्ध स्वायत्तता के पात्र हैं।

1. सभी निजी वश्व वदद्यालयों/स्वायत्त कॉलेजों को अपने वृत्तीय लेनदेन में खुलापन बनाए रखना होगा और लेखा प्रणाली में किसी भी तरह की अनियमितता के लिए बीओजी जिम्मेदार है। बीओजी में एचईआई के तेजी से विकास का मार्गदर्शन करने के लिए अपने पेशेवर क्षेत्र में प्रतिष्ठित लोगों को शामिल करना चाहिए।
2. कानून की शिक्षा प्रदान करने वाले वश्व वदद्यालयों/संस्थानों को भविष्य के वकीलों और न्यायाधीशों के लिए अंग्रेजी और राज्य भाषा में द्विभाषी शिक्षा प्रदान करना पसंद करना चाहिए।

चतुर्थ संस्थान स्तर:

1. बहु-अनुशासनिक स्वायत्त महाविद्यालय परिसर में 3,000 से अधिक छात्र होंगे। बहु-वषयक बनने की समय सीमा 2030 तक है और 2040 तक 3,000 और अधिक छात्र हैं।
2. प्रत्येक मौजूदा कॉलेज या तो डीजी देने वाले स्वायत्त कॉलेज के रूप में विकसित होगा या वश्व वदद्यालय के एक संवधान कॉलेज में स्थानांतरित हो जाएगा और पूरी तरह से वश्व वदद्यालय का हिस्सा बन जाएगा।

3. सभी मौजूदा संबद्ध कॉलेज अंततः निर्धारित मान्यता स्तर में सुधार और सुरक्षित करके संबद्ध विश्व विद्यालय के परामर्श समर्थन के साथ स्वायत्त डग्री देने वाले कॉलेज वक सत करेंगे।
4. कई विकास वकल्पों के साथ चार साल की बैचलर डग्री, एक से दो साल की मास्टर डग्री, बैचलर डग्री में बिताए गए वर्षों की संख्या के आधार पर क्रमशः चार या तीन, और पीएचडी करने का वकल्प। चार साल के लिए शोध के साथ स्नातक की डग्री संभव है।
5. द्वितीय वर्ष में पूर्ण शोध के साथ दो वर्ष की मास्टर डग्री, चार वर्षीय स्नातक डग्री धारकों के लिए एक वर्ष की मास्टर डग्री और पांच वर्ष की एकीकृत स्नातक/मास्टर डग्री।
6. उच्च शिक्षा संस्थानों को सामान्य शिक्षा के साथ एकीकृत कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान में पेशेवरों को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि शिक्षा की पेशकश करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदाय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और प्रौद्योगिकी रूढ़िमान और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में कृषि प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने में शामिल होना चाहिए।
7. सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को अपनी फीस संरचना तय करने में स्वायत्तता है और यदि कोई अधिशेष है तो उसे पारदर्शी लेखा प्रणाली के साथ विस्तार परियोजनाओं में पुनर्निवेश किया जाना चाहिए।
8. सभी निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को मेधावी छात्रों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क में 20% फ्री-शिप और 30% छात्रवृत्ति प्रदान करनी चाहिए, जो वे कसी दिए गए शिक्षणक वर्ष के दौरान प्रदान करते हैं और इसे मान्यता प्रक्रिया द्वारा जांचा और पुष्टि की जानी चाहिए।

#### छात्र स्तर

1. शिक्षक केंद्रित शिक्षण मॉडल के बजाय छात्र केंद्रित शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया।
2. च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को एक नवोन्मेषी और लचीली सक्षमता आधारित क्रेडिट सिस्टम द्वारा संशोधित किया गया है।
3. परीक्षा प्रणाली हाई-स्टेक परीक्षाओं (सेमेस्टर एंड सिस्टम) से एक अधिक सतत और व्यापक मूल्यांकन परीक्षा प्रणाली की ओर बदल जाएगी।
4. उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षाशास्त्र संचार, प्रस्तुति, चर्चा, वाद-विवाद, अनुसंधान, विश्लेषण और अंतःविषय सोच पर केंद्रित होगा।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के तहत किया जा सकता है:  
बड़े पैमाने पर समेकन से गुणवत्तापूर्ण विश्व विद्यालयों और कॉलेजों में मदद मिलेगी:

संस्थागत पुनर्गठन और समेकन का देश में उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्य की मात्रा को लगभग एक तिहाई तक कम करके महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में प्रति कॉलेज औसत नामांकन वर्तमान में 693 (एआईएसएचई 18-19, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केपीएमजी इन इंडिया एनालिसिस) है, जबकि नीति का उद्देश्य 3000 से अधिक नामांकन के साथ उच्च शिक्षा संस्थान बनाना है। यह नई नीति उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए अधिक संख्या में स्वायत्त कॉलेजों पर केंद्रित है। भारत में 1000 से कम स्वायत्त कॉलेज भारत में लगभग 40,000

कॉलेजों में से हमारे मौजूदा हैं। इससे पता चलता है क भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में नीति की सीमा में बहुत सारे समेकन और सहयोग होंगे। यह उम्मीद की जाती है क उपरोक्त कदम के परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा संस्थान भारत के 50000 कॉलेजों से 15000 कॉलेजों में आ जाएंगे।

बहु-वषयक शिक्षा पर ध्यान दें:

भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को IIT IIM और AIIM जैसे उत्कृष्टता के एकल अनुशासनात्मक द्वीपों की विशेषता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में बड़े बहु-वषयक विश्व विद्यालयों के निर्माण की ओर बढ़ रही है, जिन्हें बहु-वषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्व विद्यालय (एमईआरयू) कहा जाता है। MERU का निर्माण देश के सभी जिलों और दूरदराज के स्थानों को कवर करते हुए, समाज के सभी क्षेत्रों में व वध क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करेगा। इससे छात्रों को अपनी रुचि के क्षेत्रों के चयन में व्यापक गुंजाइश मिलेगी।

फैकल्टी की कमी और फैकल्टी क्वालिटी में सुधार की जरूरत:

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1:30 के बाद वर्तमान संकाय छात्र अनुपात हमारा देश है, इसे 1:20 तक सुधारना चाहिए जिसे स्वस्थ अनुपात माना जाता है। इस संशोधन से सस्टम में न्यूनतम 500000 नए संकाय सदस्यों की भर्ती होगी। फैकल्टी की कमी को दूर करने के अलावा फैकल्टी की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की जरूरत है। 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानक (एनपीएसटी) का एक सेट बनाया जाएगा जो कार्यकाल, निरंतर व्यावसायिक विकास प्रयासों, वेतन, पदोन्नति और अन्य मान्यता सहित शिक्षक कैरियर प्रबंधन के सभी पहलुओं को निर्धारित करेगा। नीति शिक्षकों के लिए प्रदर्शन मानकों को बनाने के बारे में भी बात करती है जिसमें स्पष्ट रूप से उस चरण के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और दक्षताओं के विभिन्न स्तरों पर शिक्षक की भूमिका का वर्णन किया गया है।

अनुसंधान गति व धर्यों को उत्प्रेरित करना:

एनईपी द्वारा प्रस्तावित नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) गुणवत्ता अनुसंधान की ओर एक समर्पित ध्यान केंद्रित करने की संभावना है, जिसमें अनुसंधान फंडिंग को प्रतिस्पर्धी बनाकर और वित्तपोषण प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार करके अनुसंधान पहलों के वित्तपोषण के लिए अधिक लक्ष्य दृष्टिकोण शामिल है। छात्रों में उनकी छोटी उम्र से ही अनुसंधान गति व धर्यों को आत्मसात किया जाएगा।

ओपन डस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंच और इक्विटी में सुधार: भारत में कुल उच्च शिक्षा नामांकन के लगभग 40 लाख यानी 11% शिक्षार्थी ओडीएल के माध्यम से हैं। महामारी के मुद्दे से ओडीएल प्रणाली में भी सुधार होता है, और आने वाले वर्षों में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है जो भारत के सकल नामांकन को दोगुना करने में मदद करेगी।

निष्कर्ष:

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक अच्छी नीति है क्यों कि इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों और 2030 के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप समग्र लचीला बहु-वर्षीय बनाना है। एनईपी एक व्यापक अभ्यास का एक उत्पाद है जो 2030 तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का प्रयास करता है। एक अधिक समावेशी एकजुट और उत्पादक राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में अनावरण की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव मंत्रालय द्वारा एक महत्वपूर्ण सुधार आया है। संसाधन विकास एमएचआरडी। नीति की मंशा कई मायनों में आदर्श प्रतीत होती है लेकिन कन यह कार्यान्वयन है जहां सफलता की कुंजी है। एनईपी 2020 के तहत, सुधारों के फोकस क्षेत्र छात्रों के बीच 21 वीं सदी के कौशल को बढ़ाकर करना चाहते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण सोच समस्या समाधान रचनात्मकता और डिजिटल साक्षरता शामिल है। तकनीकी प्रगति के रूप में तेजी से वैश्वीकरण और अभूतपूर्व विकास जैसे कि कोविड-19 महामारी - काम के अवसरों को बदल देते हैं, मौजूदा शिक्षा मॉडल को वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

#### सन्दर्भ:

1. [https://www.researchgate.net/publication/343769198\\_Analysis\\_of\\_the\\_Indian\\_National\\_Education\\_Policy\\_2020\\_towards\\_Achieving\\_its\\_Objectives](https://www.researchgate.net/publication/343769198_Analysis_of_the_Indian_National_Education_Policy_2020_towards_Achieving_its_Objectives)
2. [https://www.researchgate.net/publication/346654722\\_Impact\\_of\\_New\\_Education\\_Policy\\_2020\\_on\\_Higher\\_Education](https://www.researchgate.net/publication/346654722_Impact_of_New_Education_Policy_2020_on_Higher_Education)
3. <https://www.education.gov.in> › ...पीडीएफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार
4. <https://www.google.com/amp/s/www.hindustantimes.com/education/new-education-policy-2020-हाइलाइट्स-की-टेकअवे-ऑफ-नेप-टू-मेक-इंडिया-ए-वैश्विक-ज्ञान-महाशक्ति/.html>
5. <https://niepid.nic.in> › nep\_2020PDF, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - NIEPID
6. <https://assets.kpmg> › 2020/08PDF:राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रभाव और उच्च शिक्षा के अवसर |kpmg
7. <https://www.ugc.ac.in> › 5294...पीडीएफ एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताएं: उच्च शिक्षा